न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 05/2018

1. केहरसिंह पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा। -प्रार्थी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र केसरा उर्फ केशा जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री अमरचन्द जाति जाट निवासी छानीबड़ी त0 भादरा। - **अप्रार्थीगण**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण- **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग- **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 11-7-23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा प्रार्थी के मोरूशाला केसरा व उसके भाई सोनी की रोही मौजा छानीबड़ी के खसरा सं0 54 की 65 बीघा 6 बिस्वा खसरा सं0 517 की 18 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 555 की 24 बिघा 15 बिस्वा , खसरा सं0 592 की 28 किला 18 बिस्वा खसरा सं0 394 की 36 बिघा 11 बिस्वा कुल 174 बिघा 8 बिस्वा खातेदारी में प्रार्थी के दादा केसरा उर्फ केशा का 1/2 हिस्सा था। भूमि एकीकरण के समय उपरोक्त कृषि भूमि खसरा से मु0न0 व चकों में परिवर्तित हो गई और उस समय प्रार्थी के दादा की मृत्यु हो गई और उनके वारिसान अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ उनके भाईयों के रोही मौजा चक 1 छानी के खाता सं0 35 के मु0न0 63 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 11 मु0न0 64 के किला न0 2ता 9, 12 ता 35 मु0न0 75 के किला न0 1 ता 17 की कुल 46 किला 8 बिस्वा जिसमें अप्रार्थी का 1/8 हिस्सा व चक 5 एमआरएन के खाता सं0 60 के मु0न0 90 के किला न0 7 ता 14, 17 ता 24, मु0न0 91 के किला न0 6, 7, 14 ता 17,24, 25 मु0न0 102 के किला न0 6 ता 10, 14, 15 मु0न0 103 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 की कुल खातेदारी में अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। बाद में अप्रार्थी सं0 1 तथा उसके भाईयों ने विभाजन कर लिया जिससे अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में चक 1 सीएचएन के मु0न0 64 के किला न0 21/1, मु0न0 75 के किला न0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/2 की कुल 1.9600है0 व चक 5 एमआरएन के मु0न0 91 के किला न0 6, 7, 14, 15 , 16/1, 17/1 कुल 5 विघा 5 बिस्वा खातेदारी प्राप्त हुई।

उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी प्रार्थी की संयुक्त परिवार की खातेदारी है तथा पैतृक कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। और निरन्तर अप्रार्थी गण सं0 1 ता 2 के साथ–साथ प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सं0 1 उक्त वाद भूमि को अप्रार्थी सं0 2 के प्रभाव में आकर खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है और यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब होते है तो प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वाद भूमि के बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं0 3 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब ईकबाल दरखवास्त पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:51 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी [illegible] प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 1 सीएचएन के मु0न0 64 के किला न0 [illegible] 75 के किला न0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/2 की कुल 1.9600है0 व चक 5 एमआरएन के [illegible] 91 के किला न0 6, 7, 14, 15 , 16/1, 17/1 कुल 5 विघा 5 बिस्वा [illegible] कृषि भूमि है जो पहले [illegible] में थी लेकिन भूमि एकीकरण होने पर मु0न0 में तब्दील हुई। अप्रार्थीगण सं0 1 निरन्तर वाद [illegible] बैचान करने की ऐलानिया धमकिया देता है तथा तथा उक्त विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। उक्त वाद भूमि के अलावा भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 मध्य अन्य विवाद विभिन्न न्यायालयों तथा पुलिस थानों में जैरकार है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे उपरोक्त खातेदारी की रिकार्ड व म मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि नहीं है, प्रार्थी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह सिद्व नहीं किया है कि उपरोक्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

परिवार की सहदायिकी अथवा पैतृक सम्पती है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे यह साबित हो कि वह अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा सके। इस हेतु 2017(2) आरआरटी 907, 909 नजीरें भी प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को निहंग तंग परेशान करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यह साबित नहीं हो पाया है कि वाद भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है, चुंकि प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात से यह साबित नहीं है कि उक्त मु0न0 किलाजात और खसरा में वर्णित आराजी एक ही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने हक हिस्सा के लिए मूल प्रकरण न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें प्रार्थी को अपने अधिकार सिद्व करने है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वाद भूमि को हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति अथवा पैतृक कृषि भूमि साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थी सं0 1 जो कि वादभूमि के खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करवा लेने से अप्रार्थी के हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-7-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:51 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़